

96



कॉर्ड

समक्ष श्रीमान सक्षय महोदय राज्य मंडल ग्वालियर केम्प सागर

12 7 JUL 2013

R-2998-III/13

निगरानी प्र०१०

मुलुआ बल्द बलुआ लुहार

निवासी ग्राम खैरा तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म०१०

-- निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

भगवन्ति लाल बल्द कुट्टु लुहार

निवासी ग्राम खैरा तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म०१०

-- प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म०१० भूराजसं० अधिस्थ न्यायालय

तहसीलदार बिजावर जिला उत्तरपुर द्वारा रा०१००० 187अ-12/12-13

में पारित आदेश दिनांक 12/2/2012 के विरुद्ध

निगरानीकर्ता निम्न सु निगरानी याचिका प्रस्तुत कर विनय

करता है :-

- 1- यह कि ग्राम खैराकर्ता प्लॉट नं० 21 तहसील बिजावर स्थित भूमि खनं० 465/3 एवं 462/2 जिनका रकबा क्रमशः 0.226, एवं 0.228 है का मालिक एवं काबिजदार निगरानीकर्ता अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है।
- 2- यह कि प्रति निगरानीकर्ता भूमिखनं० 465/1/2 का मालिक है जिसे रकबा 0.229 है। पूर्व में संपूर्ण खनं० 465 था किन्तु राज्य अभिवेक में डाटा नं० नंबर अंकित न होने से जिसे अनुसार अपने पूर्वजों के

श्री ... द्वारा प्रस्तुत.  
कार्यालय कानून, सागर सम्भाग,  
सागर (म.प्र.)  
8/2/13

50  
27-7-13

दिनांक 30/7/13  
श्री ...  
YKS

30/7/13  
B-2/13


2.8.13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2998-तीन/2013

जिला-छतरपुर

मुलुआ विरुद्ध भगवन्त लाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार बिजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 12-02-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	